

पत्रांक ५०/विद्युत बोर्ड -01/15

पटना दिनांक -

विद्युत विभाग
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं इंक)
बिहार, जिरचन्द पटेल मार्ग पटना

विषय -

वाह्य सम्पोषित परियोजना के अर्न्तगत एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण प्राप्त कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु 153.9 मिलियन डॉलर (708 करोड़ रुपये) की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए ए०डी०वी० द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16 में भुगतान की गई राशि 504.74 लाख (पाँच करोड़ चार लाख चौहतर हजार) रुपये ऋण के रूप में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वाह्य सम्पोषित परियोजना के अर्न्तगत एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण प्राप्त कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बिहार पावर सेक्टर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए 153.9 मिलियन डॉलर (708 करोड़ रुपये) के योजना की स्वीकृति, योजना के कार्यान्वयन के लिए ए० डी० वी० से कुल स्वीकृत राशि का 86 प्रतिशत (608 करोड़ रुपये) ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति, योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के हिस्से की राशि 14 प्रतिशत (सौ करोड़ रुपये) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्यादेश संख्या 2873 दिनांक 28.08.2011 द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण एवं अन्य प्रारम्भिक कार्यों के लिए 10 दिनों का ऋण रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2 वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट के तहत एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु इस योजना के लिए नियुक्त विभिन्न एजेंसियों को विभिन्न पैकेजों के लिए राशि सीधे विमुक्त की जा रही है तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, व्यय विभाग योजना वित्त-1 प्रमंडल द्वारा राशि राज्य सरकार को समायोजन हेतु ऋण एवं अग्रिम के मद में 38,52,23,193.00 उपलब्ध करायी गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 7185.52 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-2402 दिनांक 09.07.2014 द्वारा 1244.70 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट के तहत सभी पैकेजों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में परामर्शों के फीस के भुगतान आदि के मद में किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु 556.70 लाख रुपये ऋण के रूप में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को करने के लिए उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण एवं अन्य प्रारम्भिक कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को राज्यादेश संख्या-5300 दिनांक 12.12.2014 एवं राज्यादेश संख्या-706 दिनांक 10.03.2015 द्वारा 35,75,70 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-339 दिनांक 02.02.2015 द्वारा 45,16,74 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-1276 दिनांक 22.04.2015 द्वारा 15,64,98 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट के तहत एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु इस योजना के लिए नियुक्त विभिन्न एजेंसियों को विभिन्न पैकेजों के लिए राशि सीधे विमुक्त की जा रही है तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, व्यय विभाग, योजना वित्त-1 प्रमंडल द्वारा राशि राज्य सरकार को समायोजन हेतु ऋण एवं अग्रिम के मद में उपलब्ध करायी गई है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क०५०३०



Sl.No.	IGA No. of GOI	Letter No./Date	Concern Packages	Concern Agency	Amount (Rs. In Lakh)
1	0190-15 dated 20.04.2015	F.No.53(2)/PFI /2015-186 dt 20.04.2015	H	M/S BHEL	272.62
			J&I	M/s ECI Engineering & Construction Company Ltd	136.17
			H	M/S BHEL	95.95
				Total	504.74

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा वाह्य सम्पोषित परियोजना के अन्तर्गत एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण प्राप्त कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु 153.9 मिलियन डॉलर (708 करोड़ रुपये) की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए ए०डी०बी० द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16 में भुगतान की गई राशि 504.74 लाख रुपये ऋण के रूप में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब बंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
- (ङ.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

6. मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज- उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष-0108- बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० की संचरण तथा वितरण परियोजना (वाह्य सम्पोषित योजना)-राज्य योजना मांग सं०-10-विपत्र कोड पी० 6801001900108 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. चूंकि इस योजना के अन्तर्गत कंडिका-4 में वर्णित राशि सीधे एजेंसी को विमुक्त की जा चुकी है इसलिए राशि की निकासी कोषागार से नहीं की जायेगी, बल्कि समायोजन प्रविष्टी के आधार पर बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9 राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0अं0आर0 संख्या 424/0018 दिनांक 19.02.16 द्वारा
सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश सं

६०/-

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक १५/०६/१६

ज्ञापक - प्र०/विद्युत बोर्ड-०१/१५

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट
शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अवर सचिव-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/
लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग पटना/आईटी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक,
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग)
कम्पनी लि०/वरीय प्रबंधक, वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को सूचनाार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक 002 बी0आर0जी0एफ0-04/2014

वर्ष

दिनांक

प्रमाण

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय — बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 371.98 करोड़ रुपये की बी०आर०जी०ए (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित राशि में से 40.00 क (चालीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली सुदृढीकरण फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रुपये की योजना बी०आर०जी०ए (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा विमुक्त की जाने वाली राशि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-17 के बीच बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या-2820 दिनांक 04.08.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2014-1370 दिनांक 05.02.2015 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के विरुद्ध 26.00 क रुपये विमुक्ति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 26.00 करोड़ (छब्बीस करोड़ रुपये) रुपये राज्यादेश संख्या-569 दिनांक 19.02.2015 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार द्वारा बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III के अधीन एन अनुपालन की 291.84 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के बदले पुनरीक्षित लागत 371.98 करोड़ रुपये जिस मुख्य कारण उदाकिशनगंज-सोलवर्सा लाईन, दलसिंहसराय-कुशेश्वरस्थान एवं करपी-गोह संचरण लाईन लम्बाई में वृद्धि है, की योजना की स्वीकृति एवं इस परियोजना के पुनरीक्षित लागत के अन्तर की राशि भा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के बीच उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति राज्यादेश संख्या-2458 दिनांक 24.08.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० एवं उसकी सभी अनुष कम्पनियों यथा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं सार बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से 300.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 2450 दिनांक 23.08.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

5. वित्तीय वर्ष 2015-16 में तत्काल बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 371.98 करोड़ रुपये की बी०आर०जी०ए (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 40.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराया जाना है।

इस प्रकार के कार्य समाप्त हुए बिना स्टेट पावर ट्रान्समिशन को एच. डी. विद्युत संचयन तथा सुदृढीकरण फंड-III के अधीन एन-1 अनुपालन की 371.98 करोड़ रुपये की बी0आर0जी0ए (स्वच्छता प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष सहाय (बी0आर0जी0-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित राशि में से 40.00 करोड़ (चालीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 उपशीर्ष-01 विशेष सहायता (बी0आर0जी0-ऊर्जा) - (बी0एस0पी0टी0सी0एल0 के लिए) की परियोजना वि कोड-P4801051900112 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबधित राशि विकल्पनीय होगा।

8. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से जायगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन सचिका संख्या प्र02/बी0आर0जी0एफ0-04/2014 के पृष्ठ संख्या 29/टि0 पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति सचिका संख्या प्र02/बी0आर0जी0एफ0-04/2014 के पृष्ठ संख्या 32/टि0 पर दिनांक 31.08.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र02/बी0आर0जी0एफ0-04/2014

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 07/09/2015

ज्ञापांक प्र02/बी0आर0जी0एफ0-04/2014 - 2606

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में) पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि0/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक 303 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन-33/2013

पटना दिनांक -

महोदय

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये फेज-III पार्ट I की 1370.02 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष सहायता (बी0आर0जी0-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित र में से 170.00 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III की 1958.47 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-614 दिनांक 23.08.2013 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये के विरुद्ध 62.50 करोड़ रुपये पत्रांक F.No.44(4)PF1/2014-1370 दिनांक 05.02.2015 द्वारा 149.64 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये तदनुसार राज्यादेश संख्या-5162 दिनांक 11.11.2013 एवं राज्यादेश संख्या-611 दिनांक 24.02.2015 द्वारा 212.14 करोड़ रुपये विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है।

पुनः विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 1370.02 करोड़ रुपये के विरुद्ध वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-731 दिनांक 16.09.2013 द्वारा 411.02 करोड़ रुपये विमुक्त के आलोक में 411.02 करोड़ रुपये राज्यादेश संख्या-5162 दिनांक 11.11.2013 द्वारा उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 एवं उसकी सभी अनुषंग कम्पनियों यथा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल विशेष सहायता (बी0आर0जी0-ऊर्जा) के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से 300.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 2450 दिनांक 23.08.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।



कृ०प०ऊ०

4. बिहार राज्य 2015-16 के बजट में ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये की फेज-III पार्ट I की 1370.02 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित राशि में से 170.00 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराया जाना है।

5. इसी आलोक में राज्य सरकार द्वारा बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III पार्ट I की 1370.02 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित राशि में से 170.00 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष- (संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-011 विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) - (बी०एस०पी०टी०सी०एल० के लिए) की परियोजना विप कोड-P4801051900112 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से जायगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन सचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 के पृष्ठ संख्या 152/टि० पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति सचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 के पृष्ठ संख्या 158/टि० पर दिनांक 07.09.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013.

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 - 2673

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक 21/09/2015

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

सं. वि.सं.
क्रमां
सं. वि.सं.
सं. वि.सं.

सं. वि.सं.

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, धीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात् पुनर्गठित पाँच कम्पनियों यथा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जानेवाली राशि अंश पूँजी के रूप में निवेश उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग के राज्यादेश सं०-5239 दिनांक-28.11.2012 में विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठित पाँच कम्पनियों में बोर्ड के आस्तियों, दायित्वों एवं मानव संसाधन के हस्तांतरण से संबंधित ट्रान्सफर स्कैम एवं वित्तीय पुनर्गठन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के उत्तराधिकारी कम्पनियों को पूँजीगत एवं कार्यशील पूँजी के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित रूप में सहायकता प्रदान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है :-

- (i) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पूँजीगत अनुदान।
- (ii) शहरी क्षेत्र में अथवा अन्य उपलब्ध क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए नया स्वयं सहायता ग्रुप प्राप्त करने के लिए गारंटी।
- (iii) धरमिता उपभोक्ता समूहों/क्षेत्रों को कम दर पर विद्युत आपूर्ति करने के प्रयत्न हो रहे घाटे की भरपाई के लिए नियमित अन्तराल पर सबसिडी का भुगतान।
- (iv) कार्यशील पूँजी के रूप में वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार गारंटी उपलब्ध कराना।

2. राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति परियोजनाओं के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जायेगी वह पूँजीगत अनुदान के रूप में नहीं मानी जायेगी बल्कि उक्त राशि को राज्य सरकार का निवेश माना जायेगा और यह निवेशित राशि अंश पूँजी होगी।

कृ०पू०ऊ०.....

राज्य शासन द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जानेवाली राशि को अंश पूँजी के रूप में निवेश उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्यादेश में वित्त विभाग के यूओआर संख्या-905 दिनांक-03.06.2014 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यापाल के आदेश से
(कामेश्वर शुक्ला)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/स0बि0पा0डि0कं0लि0-35/2013 *2/17* पटना दिनांक *30/6/17*
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार सरकार/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, प्रबंध निदेशक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/उप महाप्रबंधक, (वित्त एवं लेखा) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर शुक्ला)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक- प्र02/BSPTCI.-01/2014

दिनांक

विभाग
द्वारा
नियमित
रूप से
परामर्शित।

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0भी0 क्षमता वा (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण का 555.90 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारह पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 61 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड अतः इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0एस0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है। निर्माणार्थ ग्रिड की क्षमता का निर्धारण उस ग्रिड के लोड के आधार पर किया गया है।

2. प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवर निम्न प्रकार है :-

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (एम0भी0ए0)	भोल्टेज लेवल (के0भी0)
मधुबनी	झंझारपुर	2x10	132/33
बेगुसराय	बलिया	2x10	132/33
	मंझौर	2x10	132/33
	बखरी	2x20	132/33
सुपौल	त्रीवेणीगंज	2x10	132/33
	निर्मली	2x20	132/33
दरभंगा	बेनीपुर	2x10	132/33
सीतामढ़ी	बेलसंड	2x10	132/33
पू0 चम्पारण	पकड़ी दयाल	2x20	132/33
	चकिया	2x20	132/33
समस्तीपुर	शाहपुर पटौरी	2x20	132/33
पूर्णिया	बनमंखी	2x20	132/33
भोजपुर	पीरो	2x20	132/33
कटीहार	मनीहारी	2x20	132/33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रुपये आवकलित की गयी है।

4/5/14
02/5/14

4/5/14

4/5/14

428

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 10 जिलों अन्तर्गत 14 राजस्व अनुसूची वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यक्रम नहीं है। 132, 33 के.वी.0 (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार मद से वित्त 2013-14 में 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में मांग सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013- उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भ स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन व लि0, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू संख्या-0352101042062 आइ0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा जायगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राप्ति पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
8. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 386 दिनांक 20.02.2014 सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 24/2/14

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014 840

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेर शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ ए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

करीम प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

...

पत्रांक - प्र02/वि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013

दिनांक

वित्त विभाग
सवा में

द्वारा
संगीतकारित
रूप में
परामर्शित।

विषय:-

DBM(F)

महालेखाकार (लेखा एवं हक).

बिहार वीरचन्द्र पटेल मार्ग पटना।

बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III की 1958.47 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि के अनुरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 473.52 करोड़ (चार सौ तिहत्तर करोड़ बावन लाख) रुपये निवेश के रूप में पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

राज्य सरकार के राज्यादेश संख्या-5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0 के अनुषंगी कम्पनियों की 9210.75 करोड़ रुपये (नौ हजार दस करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की योजना की स्वीकृति में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III की 1958.47 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति है। स्वीकृति की राशि 4 वर्षों में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के बीच व्यय किया जाना है एवं राशि के व्यय की स्वीकृति भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के अनुरूप की जानी है।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-614 दिनांक 23.09.2013 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये के विरुद्ध 62.50 करोड़ रुपये, एवं पुनः विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 1370.02 करोड़ रुपये के विरुद्ध वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-731 दिनांक 16.09.2013 द्वारा 411.02 करोड़ रुपये कुल 473.52 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये हैं।

3. तदनुसार बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III की 1958.47 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि के अनुरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 473.52 करोड़ (चार सौ तिहत्तर करोड़ बावन लाख) रुपये निवेश के रूप में पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष- 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 - उपशीर्ष-0102 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना (पिछड़ा विकास कोष योजना) - विपत्र कोड P4801051900102 विषय शीर्ष-5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9/82/MD(M)
14/11/13

36M(108)

12/13
14/11/13

2320/DBM(F)
16/11/13

Ac
A-0(F)

18/11/13

Acctt

16-12-13

13/12/13

426

5. इस राशि की निःशुल्क मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका संगतान प्रकरण को सचिव शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०, पटना के माध्यम से सचिव नैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना के माध्यम से खता संख्या- 0352101042194 संख्या/कोषागार/सी० CNRB0000352 मू R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

6. वित्त, विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें पं. अधिकार की आवश्यकता नहीं है।

7. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०ओ०आर० संख्या 1736 दिनांक 24.10.2013 द्वारा सह प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(संदीप पौण्डरीक)
सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक - प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(संदीप पौण्डरीक)
सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013- 5162 दिनांक 11/11/13
प्रतिलिपि -- वित्त विभाग, वजेट शाखा/वजेट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० नैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०, पटना /वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


(संदीप पौण्डरीक)
सचिव, ऊर्जा विभाग

प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक - 382

दिनांक

महानगर

इलाहाबाद

वित्त

रूप से

परामर्शित।

महालेखाकार (लेखा एव हक)

बिहार, वीरचन्द्र पटेल नगर, पटना।

विषय:-

बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 195 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की राशि के अनुरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 26.48 करोड़ (छब्बीस करोड़ अड़तालीस लाख) रुपये निवेश के रूप में पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

राज्य सरकार के राज्यादेश संख्या-5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुषंगी कम्पनियों की 9210 करोड़ रुपये (नौ हजार दस करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की योजना की स्वीकृति में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III की 1958.47 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति है। स्वीकृति की राशि 4 वर्षों वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के बीच व्यय किया जाना है एवं राशि के व्यय की स्वीकृति भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के अनुरूप की जानी है।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये के विरुद्ध 62.50 करोड़ रुपये एवं विद्युत उप संचरण प्रणाली सुदृढीकरण फेज-III की 1370.02 करोड़ रुपये के विरुद्ध 411.02 करोड़ रुपये कुल 473.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्यादेश संख्या-5162 दिनांक 11.11.2013 द्वारा प्रदान की गयी है।

3. पुनः वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-1446 दिनांक 06.02.2014 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 356.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति देते हुए 106.83 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्यशर्ष-4801-निवेश के अन्तर्गत 500.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है, जिसके विरुद्ध 473.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः वर्तमान में 26.48 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान शेष है।

5. तदनुसार बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 1958.47 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि के अनुरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 26.48 करोड़ (छब्बीस करोड़ अड़तालीस लाख रुपये) रुपये निवेश के रूप में पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया

424

6 यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-विभिन्न परिव्याज-पर पुंजागत परिव्यय शीर्ष-05 संरक्षण तथा वितरण शुल्क शीर्ष- 130-मार्केटिंग शुल्क एवं अन्य व्ययका म ि सं-10 - एनएच-0102 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० का परियोजना मिडल वि योजना - विपत्र काड P4801051900102 विषय शीर्ष-5401-निवेश क अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 20 उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को के साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042194 आइ०एफ०एस०ए CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधि की आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंग सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०ओ०आर० संख्या 342 दिनांक 17.02.2014 द्वारा प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(कामेश्वर शुक्ला)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक - प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूच एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(कामेश्वर शुक्ला)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 837 दिनांक 24/2/14
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अर् के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) क लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना /वरीय प्रबंधक वित्त एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर शुक्ला)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

3

जायल-सा प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट पावर लि०, पटना
संख्या 11/14

पत्रांक - 2013

विद्युत विभाग
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

CE (P.S.)
Bihar (P.S.)
AD (Gen.)
विद्युत विभाग
पटना

बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 1958.4 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि के अनुरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 80.35 करोड़ (अस्सी करोड़ पैंतीस लाख) रुपये निवेश के रूप में पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

राज्य सरकार के राज्यादेश संख्या-5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा बी0आर0जी0एफ (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुषंगी कम्पनियों की 9210.7 करोड़ रुपये (नौ हजार दौ सौ दस करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की योजना की स्वीकृति में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III की 1958.47 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति है। स्वीकृति की राशि 4 वर्षों वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के बीच व्यय किया जाना है एवं राशि के व्यय की स्वीकृति भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के अनुरूप की जानी है।

624/MOJ
14.9.14

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये के विरुद्ध 62.50 करोड़ रुपये एवं विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 1370.02 करोड़ रुपये के विरुद्ध 411.02 करोड़ रुपये कुल 473.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्यादेश संख्या-5162 दिनांक 11.11.2013 द्वारा दी गयी है इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-1446 दिनांक 06.02.2014 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 356.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति देते हुए 106.83 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये राशि के विरुद्ध राज्यादेश संख्या-837 दिनांक 24.02.2014 द्वारा 26.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार 106.83 करोड़ रुपये में से 80.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जानी है।

14/3/14

85/DG/MC
14/8/14

3. तदनुसार बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 1958.47 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि के अनुरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के वित्तीय वर्ष 2013-14 में 80.35 करोड़ (अस्सी करोड़ पैंतीस लाख) रुपये निवेश के रूप में पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

609/57
15/3/14

Mo
Ran...

...

संख्या-05
सं-10 - अथशाष-0102 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परिष्कार योजना विकास व योजना) - विपत्र कोड P4801051900902 विषय शेष-5401 निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बि: पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042194 आइ०एफ०एस० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी व सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०ओ०आर० संख्या 477 दिनांक 04.03.2014 द्वारा सह प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक - प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 1029

दिनांक 12/3/14

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-नि एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) व लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना/वरीय प्रबंधक वित्त एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर शुक्ला)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

Annexure - A

(2014 - 2015)						(Amount in Lacs)
Sl. No.	Name of Scheme	Total Cost of Sanctioned	Year of Sanction	Sanction Order No.	Date	Sanction Amount Equity
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of 132/33 KV GSS at Different Places in 14 Nos. Revenue Sub Division (in 10 Districts)	55590.00	2013.14	2304	07.07.2014	1000.00
2	Extension of Capacity of 17 nos of Power Transformers at 14 old GSS.	4904.00	2013.14	2305	07.07.2014	2904.00
3	Replacement of Oil & Overhauling of 48 nos. Power Transformer	1208.00	2013.14	2312	07.07.2014	708.00
4	Renovation of 15 Nos. of Grid Sub Station	887.95	2013.14	2494	14.07.2014	389.96
5	Construction of 220/132/33 KV New Grid of power 2 x 150 & 2 x 50 MVA in Bihta (Patna)	9965.00	2012.13	2495	14.07.2014	1000.00
6	Construction of Control Room Building, Residential Complex and Building, Boundary Wall, Internal Road and Drinking water Sanitation at Old GSS.	7682.50	2013.14	3077	23.08.2014	3000.00
7	Construction of 220/132/33 KV New Grid of power 2 x 150 & 2 x 50 MVA in Bihta (Patna)	9965.00	2012.13	3078	23.08.2014	4000.00
8	Construction of 132/33 KV GSS at Different Places in 14 Nos. Revenue Sub Division (in 10 Districts)	55590.00	2013.14	3079	23.08.2014	3000.00
9	Replacement of 20 Nos of 20 MVA Transformer by 50 MVA Transformer at 14 Nos. of 132/33 KV GSS of BSPTCL and renovation of related 132/33 KV Transformer Bay.	11000.00	2014.15	3649	08.10.2014	11000.00
10	Construction of Higher Capacity Bus Bar Conductors (20 Nos on 132 KV Side) & (56 Nos on 33 KV Side) replacing old Bus Bar Conductors for strengthening BSPTCL Trans. Line	15900.00	2014.15	3650	08.10.2014	15900.00
11	Construction of 2nd Circuit Stringing of Single String Trans. Line on 17 Nos. Of 132 KV Double Circuit Tower & 35 Nos of 132 KV Line Bay in related 132/33 KV GSS	12367.00	2014.15	5236	09.12.2014	1500.00
12	Construction of 132/33 KV GSS and related Transmission Line at 17 Revenue Sub Divisions where no GSS is working.	66872.00	2014.15	5238	09.12.2014	10000.00
13	Construction Transmission Line for evacuation of Power from Kanti Thermal Power.	2839.51	2012.13	5480	26.12.2014	228.00
14	Amount received through B.S.P.H.C.L. against Construction of Training centre		2014.15	5237	09.12.2014	199.16626
Total						54829.12626
BRGF						
1	strengthening of Sub Transmission system Under BRGF (Special Plan) (N-1) Scheme	291.84	2014-15	569	2/19/2015	2600.00
2	strengthening of Sub Transmission system phase -II Extension	47253.00	2013-14	611	24.02.2015	14964.00
						17564.00
						72393.12626

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण के लिए 26.12 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के पुनरीक्षित लागत 28.3951 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु शेष 2.28 करोड़ (दो करोड़ अठाई लाख रुपये) रुपये वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर का क्षमता विस्तार किया जा रहा है। इसमें 2x195 मेगावाट की अतिरिक्त यूनिट लगायी जा रही है। पहली इकाई से उत्पादन व लक्ष्य 'जून' 2013 एवं दूसरे इकाई से उत्पादन का लक्ष्य 'सितम्बर' 2013 है। इन नयी इकाईयों की बिजली की निकासी हेतु आवश्यक संचरण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है ताकि उत्पादित बिजली का उपयोग हो सके। वर्तमान में 220 के०भी० एम०टी०पी०एस०-गोपालगंज, 220 के०भी० एम०टी०पी०एस०-दरभंगा, एवं 132 के०भी० एम०टी०पी०एस०-एस०के०एम०सी०एच० के दूसरे सर्किट का रिकंडक्टरिंग कर उत्पादित बिजली को गोपालगंज, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पहुँचाया जा सके।

2. उक्त आलोक में राज्यादेश संख्या-4361 दिनांक 26.09.2012 द्वारा काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन की निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण की 26.12 करोड़ की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को 26.12 करोड़ (छब्बीस करोड़ बारह लाख) रुपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। कालान्तर में कार्यान्वयन के दौरान कुछ उपस्करों की मात्रा में बढ़ोत्तरी के कारण योजना की कुल लागत ₹ 28,39,51,784.54 हो गयी है।

3. राज्य सरकार द्वारा काँटी विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर से होनेवाले विद्युत् उत्पादन के निकासी हेतु संचरण प्रणाली के निर्माण के लिए 26.12 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के पुनरीक्षित लागत 28.3951 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु शेष 2.28 करोड़ (दो करोड़ अठाईस लाख रुपये) रुपये वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

इस पर भी विचार कर लिया गया है।
 बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन
 कम्पनी लि०, पटना को कनरा बैंक, साउथ गॉंधी मैदान शाखा, पटना के चालू खात
 संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा कर्क
 जायगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०२/बोर्ड विविध-14/2012 के पृष्ठ संख्या 22/टि० पर दिनांक 19.09.2014 को प्राप्त है।
9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या- प्र०२/बोर्ड विविध-14/2012 के पृष्ठ संख्या-25/टि० पर दिनांक 05.12.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-14/2012

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 26/12/2014

ज्ञापांक प्र०२/बोर्ड विविध-14/2012. 5480

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

सेवा नं.

महालेखाकार (लेखा एवं हक).
बिहार, वीरचन्द्र पटेल, मार्ग, पटना।

विषय:-

बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) रुपये वित्तिय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार राज्य के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु बनायी गयी योजना पर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्रदान की गयी है। इस योजना अन्तर्गत बिहार राज्य में मात्र 11 ग्रिड सब-स्टेशन यथा मोतीपुर, समस्तीपुर (नया), सुपौल (नया), मुसहरी, गया, जक्कनपुर, जमालपुर, शेखपुरा, नवादा एवं किशनगंज (नया) में 220/132 के0भी0 लेवल ग्रिड एवं शिवहर 132/33 के0भी0 लेवल ग्रिड का निर्माण होना है। बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। अतः इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0एस0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है। निर्माणाधीन ग्रिड की क्षमता का निर्धारण उक्त ग्रिड के लोड के आधार पर किया गया है। वितरण कम्पनी से आग्रह किया गया है कि इन राजस्व अनुमंडलों में बेहतर ढंग से वितरण प्रणाली योजना बनायी जाय ताकि इन राजस्व अनुमंडलों में लोड की वृद्धि हो सके। इसी आलोक में बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई।

2. राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) रुपये वित्तिय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०ऊ०

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुरु शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश नांग सं-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विप कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 उपबद्धित राशि से विकल्पनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०५/२०१४ के पृष्ठ संख्या ०६/टि० पर दिनांक ०२.१२.२०१४ को प्राप्त है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०५/२०१४ के पृष्ठ संख्या-०७/टि० पर दिनांक ०५.१२.२०१४ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०५/२०१४

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक ११/१२/१४

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०५/२०१४ - 5238

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग

पत्रांक - 302 / बिस्टे0म0ट्रा0के0लि0-04 / 2014

पटना, दिनांक -

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के 17 अदद 132 के0मी0 डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रिंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के0मी0 ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के0मी0 लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रुपये) रुपये वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा ऊर्जा की माँग/आवश्यकता में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज होने के अनुरूप विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षमता विस्तार की जा रही है इसी के तहत विद्युत संचरण के क्षमता विस्तार, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध उपलब्धता हेतु 132 के0मी0 नई संचरण लाईनों की निर्माण की आवश्यकता है। परन्तु, नई लाईनों के निर्माण हेतु मार्ग अधिकार (ROW), प्राक्कलन राशि एवं समय की अधिकता को संज्ञान में लेते हुए मौजूदा डबल सर्किट टावर पर द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग का कार्य आवश्यक है। इसी आलोक में 17 अदद 132 के0मी0 डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रिंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के0मी0 ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के0मी0 लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की योजना बनाई गयी है।

2. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के 17 अदद 132 के0मी0 डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रिंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के0मी0 ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के0मी0 लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रुपये) रुपये वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

कृ०प०ऊ०

4. इस कार्य को निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को. कनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-०४/२०१४ के पृष्ठ संख्या ०६/टि० पर दिनांक ०२.१२.२०१४ को प्राप्त है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-०४/२०१४ के पृष्ठ संख्या-०७/टि० पर दिनांक ०५.१२.२०१४ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-०४/२०१४

दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-०४/२०१४ - 5236

दिनांक 9/12/14

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02/BSPTCL-02/2014

पटना, दिनांक - _____

वित्त विभाग
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली सुदृढिकरण हेतु 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों के 132 के०भी० साइड (20 अदद) एवं 33 के०भी० साइड (56 अदद) के पुराने बस-बार कंडक्टर को बदल कर अधिक क्षमता वाले कंडक्टरों को लगाने की 159.00 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 159.00 करोड़ (एक सौ उनसठ करोड़ रुपये) रूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के अन्तर्गत कार्यरत चिन्हित 20 अदद 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों के 132 के०भी० बस-बार एवं 56 अदद 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों के 33 के०भी० बस-बार में पूर्व से कार्यरत कंडक्टर पुराने हो चुके हैं एवं उनका क्षमता भी कम है। ग्रिडों के क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं संचरण प्रणाली के लगातार विकास व ध्यान में रख बस-बार कंडक्टरों को अधिक क्षमता वाले कंडक्टरों से बदला जाना आवश्यक है। वर्तमान में कंडक्टर का प्रकार यथा पैंथर एवं जेबरा कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है। जिनका क्षमता कम है। वर्तमान एवं भविष्य में विद्युत् आवश्यकता के अनुरूप विद्युत् संचरण हेतु इन्हें कंडक्टरों को अधिक क्षमता वाले कंडक्टरों से बदला जाना आवश्यक है। पुराने कंडक्टर विद्युत् संचरण क्षमता में व्यंघान उपस्थित कर रहे हैं। इसलिए इन्हें बदलने की योजना बनायी गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन से विद्युत् संचरण सुचारु रूप से हो सकेगा। इस योजना की कुल लागत 159.00 करोड़ रुपये आवककलित की गयी है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली के सुदृढिकरण हेतु 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों के 132 के०भी० साइड (20 अदद) एवं 33 के०भी० साइड (56 अदद) के पुराने बस-बार कंडक्टरों को बदल कर अधिक क्षमता वाले कंडक्टरों को लगाने की 159.00 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 159.00 करोड़ (एक सौ उनसठ करोड़ रुपये) रूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विप कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इन नए जो निकासी उन संघ-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ऊपर विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना में कर इतका मुगता भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा-सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खात संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा व जायगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिका पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं हों बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. उक्त योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या प्र०२/BSPTCL-02/2014 के पृष्ठ संख्या 7/टि० पर दिनांक 30.09.2014 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या प्र०२/BSPTCL-02/2014 के पृष्ठ संख्या-9/टि० पर दिनांक 08.10.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/BSPTCL-02/2014

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 31/10/2014

ज्ञापांक प्र०२/BSPTCL-02/2014 - 3650

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.14
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

विभाग

पत्रांक - प्र02/BSPTCL-03/2014

पटना, दिनांक - _____

19/5/15
19/11/10

वित्त विभाग
द्वारा
प्रनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के 132/33 के०भी० के 14 ग्रिड सब-स्टेशनों में कार्यरत 20 एम०भी०ए० क्षमता के 20 अदद ट्रान्सफार्मरों को बदल कर 50 एम०भी०ए० का ट्रान्सफार्मर लगाने एवं सम्बंधित 132/33 के०भी० ट्रान्सफार्मर 'बे' के जीर्णोद्धार हेतु कुल 110.00 करोड़ रुपये व योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 110.00 करोड़ (एक सौ दस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के अन्तर्गत कार्यरत सभी ग्रिड सब-स्टेशन में अधिष्ठापित ट्रान्सफार्मरों की समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि 14 ग्रिड सब-स्टेशन के 20 ट्रान्सफार्मरों की आयु तकनीकी रूप से पूर्ण हो चुकी है। साथ ही उन ग्रिडों पर लोड में भी वृद्धि हो गयी है। इन चिन्हित ट्रान्सफार्मरों को उनकी क्षमता के अनुरूप चलाने में कठिनाई हो रही और किसी भी क्षण ये खराब हो सकते हैं। जिसके चलते उन क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति में व्यवधान होने की सम्भावना है। विद्युत् संचरण व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु इन चिन्हित ट्रान्सफार्मरों को बदलना आवश्यक हो गया है। विद्युत् आवश्यकता में उत्तरोत्तर वृद्धि भी दर्ज की जा रही है। अतः 20 एम०भी०ए० के जगह 50 एम०भी०ए० के ट्रान्सफार्मर लगाये जाने एवं इनके सम्बंधित 132/33 के०भी० 'बे' के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गयी है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के 132/33 के०भी० के 14 ग्रिड सब-स्टेशनों में कार्यरत 20 एम०भी०ए० क्षमता के 20 अदद ट्रान्सफार्मरों को बदल कर 50 एम०भी०ए० का ट्रान्सफार्मर लगाने एवं सम्बंधित 132/33 के०भी० ट्रान्सफार्मर 'बे' के जीर्णोद्धार हेतु कुल 110.00 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 110.00 करोड़ (एक सौ दस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विप कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 सम्बंधित राशि से विकलनीय होगा।

कृ०पृ०उ

इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ऊर्जा विभाग बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उक्त योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०२/BSPTCL-03/2014 के पृष्ठ संख्या 7/टि० पर दिनांक 30.09.2014 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या- प्र०२/BSPTCL-03/2014 के पृष्ठ संख्या-9/टि० पर दिनांक 08.10.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/BSPTCL-03/2014

दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०२/BSPTCL-03/2014 - 3649

दिनांक ११/१०/२०१४

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

विभाग

027
26/8/14 (F&A)

अन विभाग
द्वारा
नीपचारिक
रूप से
परामर्शित।

क्रमांक- 202/BSPTCL-01/2014

पटना दिनांक

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 कै0मी0 क्षमता वाली (ए0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना व में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है।

2.

प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवरणी 1 प्रकार है :-

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (एम0बी0ए0)	वोल्टेज लेवल (कै0मी0)
मधुबनी	झंझारपुर	2x10	132/33
बेगुसराय	बलिया	2x10	132/33
	मंझौर	2x10	132/33
	बखरी	2x20	132/33
सुपौल	त्रीवेणीगंज	2x10	132/33
	निर्मली	2x20	132/33
दरभंगा	बेनीपुर	2x10	132/33
सीतामढ़ी	बेलसंड	2x10	132/33
पू0 चम्पारण	पकड़ी दयाल	2x20	132/33
	चकिया	2x20	132/33
समस्तीपुर	शाहपुर पटौरी	2x20	132/33
पूर्णिया	बनमंखी	2x20	132/33
भोजपुर	पीरो	2x20	132/33
कटीहार	मनीहारी	2x20	132/33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रुपये आवकलित की गयी।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 कै0मी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या 840 दिनांक 24.02.2014 द्वारा 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-2304 दिनांक 07.07.2014 द्वारा 10.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है।

Sr. Manager
(F&A)

26/8/14

2148/MD (F&A)
26-08-14

2009/DGMCF
26/8/14

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 कैं0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एन0 सब-स्टेशन एवं सबघिन संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत यांत्रिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र व P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि विकलनीय होगा।
6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा वि. बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, प. को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-03521010421 आइ0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायेगी।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है।
8. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या प्र02/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या-8/टि0 पर दिनांक 18.02.2014 को प्राप्त है।
10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र02/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या 22/टि0 पर दिनांक 22.08.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 23/8/14

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014 3079

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक-वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.14.
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

00 (Tues)
26/08/14

त विभाग द्वारा
नियमित रूप
परामर्शित।

पत्रांक - 202/बोर्ड विविध-15/2012

पटना, दिनांक -

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

2150/M (Dr.)
26-08-14

पटना जिला के बिहटा में 2x150 एवं 2x50 एम0भी0ए0 क्षमता का नया ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड को 40 करोड़ (चालीस करोड़) रुपये उपलब्ध कराने की प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

पटना के पश्चिमी क्षेत्र में नये प्रतिष्ठानों की स्थापना (आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0टी0) के चलते विद्युत मांग में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण बिहटा में 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण लाइन का निर्माण आवश्यक है। वर्ष 2007 में चालू किया गया बिहटा 132/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र अधिक लोड वहन करने में असमर्थ है अन्य ग्रिड यथा खगौल इत्यादि भी full load पर चल रहा है। अतः बिहटा में 220/132/33 के0भी0 का नया ग्रिड निर्माण (संबंधित संचरण लाइन सहित) का कार्यान्वयन आवश्यक है। राज्य की राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में बिहटा में 220/132/33 के0भी0 नया ग्रिड (क्षमता-2x150 एम0भी0ए0 220/132 के0भी0 लेवल पर) तथा इससे संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण की योजना बनाई गई है। योजना की कुल लागत 99.65 करोड़ रुपये मात्र आकलित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यादेश संख्या-1034 दिनांक 22.02.2013 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 5 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्यादेश संख्या-2946 दिनांक 05.06.2013 द्वारा 20 करोड़ (बीस करोड़) रुपये एवं राज्यादेश संख्या-794 दिनांक 21.02.2014 द्वारा 15 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-2495 दिनांक 10.07.2014 द्वारा 10.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराये गये हैं।

3. राज्य सरकार द्वारा पटना जिला के बिहटा में 2x150 एवं 2x50 एम0भी0ए0 क्षमता का नया ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को 40 करोड़ (चालीस करोड़) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05-संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

क0प0स0

6. दिन दिनांक के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्र पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन सं संख्या प्र02/बोर्ड विविध-15/2012 के पृष्ठ संख्या- 40 /टि0 पर दिनांक 08.01.2013 को है।
9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प्र02/ विविध-15/2012 के पृष्ठ संख्या 75/टि0 पर दिनांक 22.08.2014 को प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध-15/2012

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ र आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक

ह0/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 23/8/14

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध-15/2012 3078

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

वित्त विभाग
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

विषय:

2149/MD (K)
26-08-14

नहालेखाकार (लिखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

आदेश: स्वीकृत।

Mr. Manager
(F&A)
26/8/14

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत संचरण क्षमता के विस्तार की महती योजनायें कार्यान्वि जा रही हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में कई उपकरण यथा ट्रांसफार्मर, कंट्रोल एवं रीले पैनल, इत्यादित उपकेन्द्रों में प्रस्थापित किए जाने हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांस कम्पनी लि0 के पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदी आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की योजना बनायी गयी है। योजना के अन्तर्गत 20 उपकेन्द्रों का आधुनिकरण एवं जीर्णोद्धार (असैनिक कार्यों को छोड़कर) कर भी योजना प्रस्तावित है। इन मूल्यवान उपकरणों को प्रस्थापित करने, सुरक्षित संचालन एवं सुरक्षा उपकेन्द्र अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण असैनिक कार्य यथा आंतरिक सड़क, नियंत्रण कक्ष भवन, चहारदी इत्यादि का समुचित सुदृढ़ होना अनिवार्य हैं। बहुत सारे वर्तमान ग्रिड उपकेन्द्र करीब 35/40 वर्ष निर्मित हैं जिनकी असैनिक मरम्मती, सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार अत्यावश्यक है।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा इस योजना के अन्तर्गत नियंत्रण मरम्मती, आवासीय भवन मरम्मती, विश्राम गृह मरम्मती, पहुँचपथ मरम्मती, पेयजल एवं निस्सारण व्यव मरम्मती, चहारदीवारी मरम्मती कार्य, कार्यालय मरम्मती, स्वीचयार्ड का विकास किया जाना है। इस योजना कुल लागत 76.825 करोड़ रु0 आकलित की गई है। इस योजनान्तर्गत सभी कार्य दो चरणों में करा जाना है। प्रथम चरण में ग्रिड उपकेन्द्र स्थित नियंत्रण कक्ष भवन, पहुँचपथ, विश्राम गृह, चहारदीव इत्यादि के मरम्मति के कार्य किये जायेंगे। द्वितीय चरण में उपरोक्त वर्णित कार्यों को छोड़कर ग्रि उपकेन्द्रों के परिसर में अवस्थित आवासीय भवन एवं इससे संबंधित कार्य कराए जायेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की संचरण प्रणाली सुदृढीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर ए भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या-3773 दिनांक 22.07.2013 द्वारा 25.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रुपये) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

405

प्रस्तावित पुनर्गठन क्रम 4501-वि.प्र. विद्यार्जन के सुसंगत विचार-क
जोर्ना-09 सचिव वरु वि.प्र. वि.प्र. 130 कार्यकारी अत्र के तथा अन्य प्रकृत न लि
नो-10 उपशीर्ष-0106 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की नवियोजना विपत्र
P4801051900105 वि.प्र. शीर्ष 5401-निवेश क अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबधित
विकल्प होगा।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-03521010, आइ०एफ०एस०सी० कोडं CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायेगी।
7. वित्त विभाग के पस्त्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है।
8. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी ब सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका सं प्र०2/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-40/2013 के पृष्ठ संख्या-06/टि० पर दिनांक 09.07.2013 को प्र है।
10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं प्र०2/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-40/2013 के पृष्ठ संख्या 14/टि० पर दिनांक 21.08.2014 को प्रा है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(कामेश्वर शुक्ला)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०2/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-40/2013
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
दिनांक

ह०/-
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक 23/8/14
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह
-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में),
पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग,
पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार
स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन
कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग
22.8.14

1 विभाग द्वारा
10पचारिक रू
1 परानर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),

बिहार वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

पटना जिला के बिहटा में 2x150 एवं 2x50 एम0मी0ए0 क्षमता 220/132/33 के0मी0 नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क लिमिटेड को 10 करोड़ (दस करोड़) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

पटना के पश्चिमी क्षेत्र में नये प्रतिष्ठानों की स्थापना (आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, शैक्षणिक संस्थान, बड़ा अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान) के चलते विद्युत माँग में अत्यधिक वृद्धि जिसे वहन करने में कार्यरत ग्रिड सक्षम नहीं है। वर्ष 2007 में चालू किया गया बिहटा 132/33 के ग्रिड उपकेन्द्र अधिक लोड वहन करने में असमर्थ हैं अन्य ग्रिड यथा खगौल इत्यादि भी full load चल रहा है। अतः बिहटा में 220/132/33 के0मी0 का नया ग्रिड निर्माण (संबंधित संचरण डाउनलिकिंग लाइन सहित) का कार्यान्वयन आवश्यक है। राज्य की राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्र अवस्थित होने वाले प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक विद्युत माँग को पूरा करने हेतु बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड बिहटा में 220/132/33 के0मी0 नया ग्रिड (क्षमता-2x150 एम0मी0ए0 220/132 के0मी0 लेवल पर 2x50 एम0मी0ए0 132/33 के0मी0 लेवल पर) तथा इससे संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन निर्माण की योजना बनाई गई है। योजना की कुल लागत 99.65 करोड़ रुपये मात्र आकलित की गई

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यादेश संख्या-1034 दिनांक 22.02.2013 द्वारा योजना स्वीकृति प्रदान की गई एवं 5 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्यादेश संख्या-2946 दिनांक 05.06.2013 द्वारा 20 करोड़ (बीस करोड़) रुपये एवं राज्यादेश संख्या-794 दिनांक-21.02.2014 द्वारा करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये है।

3. राज्य सरकार द्वारा पटना जिला के बिहटा में 2x150 एवं 2x50 एम0मी0ए0 क्षमता 220/132/33 के0मी0 नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को 10 करोड़ (दस करोड़) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मु शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश संशोधन-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना के केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-03521010420-आई0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस प्रां पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त निमित स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन सं संख्या प्र02/बोर्ड विविध-15/2012 के पृष्ठ संख्या- 40 /टि0 पर दिनांक 08.01.2013 को है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प्र02/ विविध-15/2012 के पृष्ठ संख्या 70/टि0 पर दिनांक 08.07.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध-15/2012 2495

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ र आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 14/9/14

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध-15/2012 2495

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सः -निकासी एवं व्ययने पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों-में) पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 14/9/14

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

वित्त विभाग
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

पत्रांक - प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0-19/2013 2497 पटना, दिनांक - 14/7/14

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब-सटे के जीर्णोद्धार की 887.95 लाख रुपये की स्वीकृत योजना के बदले दो ग्रीड सब-स्टेशनों के पूर्णरूपेण जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण की 877.91 रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय 2014-15 में 389.96 (तीन करोड़ नवासी लाख छियानवे हजार रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को योजना मद से उप कराने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब-स्टेशन जीर्णोद्धार की 887.95 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013-14 में ऊर्जा विभा स्वीकृत्यादेश संख्या-2662 दिनांक 21.05.2013 द्वारा दी गयी थी। इस स्वीकृत योजना के अ सीतामढ़ी, सीवान, हाजीपुर, छपरा, रामनगर, मोतीहारी, पण्डौल, खगौल, गायघाट, हाथीदाह, राउ सोननगर, कर्मनाशा, चंदौती एवं जहानाबाद के ग्रीड सब-स्टेशन शामिल किये गये थे। इस योजन कार्यान्वयन हेतु कुल स्वीकृत राशि में से 487.95 लाख रुपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लि0 उपलब्ध कराया गया है।

2. इस योजना में प्रमुख रूप से असैनिक कार्यों के जीर्णोद्धार का कार्य था। विद्युतीय का प्रावधान कम था। इस कारण यह निर्णय लिया गया कि स्वीकृत राशि में उतने ही ग्रीड सब-स का चयन किया जाय, जिसका पूर्णरूपेण जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण किया जा सके। इस उद्देश पन्द्रह ग्रीड सब-स्टेशनों में शामिल गायघाट एवं राजगीर सब-स्टेशन का चयन किया गया। इन ग्रीड सब-स्टेशनों के पूर्णरूपेण जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए कुल 877.91 लाख रुपये आव की गई है। दो ग्रीड सब-स्टेशनों यथा गायघाट एवं राजगीर के पूर्णरूपेण जीर्णोद्धार एवं आधुनिकी की नयी योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व स्वीकृत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि 48 का उपयोग नयी योजना के लिए किया जाना है। इस प्रकार नयी योजना हेतु मात्र 389.96 लाख (877.91-487.95) ही बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. पूर्व स्वीकृत योजना के लिए निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-2662 दिनांक 21.05.2013 संशोधित समझा जायेगा।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के पन्द्रह पुराने सब-सटेशनों के जीर्णोद्धार की 887.95 लाख रुपये की स्वीकृत योजना के बदले दो पुराने सब-स्टेशनों के पूर्णरूपेण जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण की 877.91 लाख रुपये की योजना की स्वी एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 389.96 (तीन करोड़ नवासी लाख छि हजार रुपये) लाख रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को योजना मद से उपलब्ध व की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र क P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि विकलनीय होगा।

401

6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारत बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को केनरा बैंक, साउथ गॉर्धम मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-03521010 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।
7. वित्त विभाग के प्रसिद्ध संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिका की आवश्यकता नहीं है।
8. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी ; सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपर्युक्त योजना के लिए निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-793 दि 21.02.2014 को निरस्त किया जाता है।
10. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं०-19/2013 के पृष्ठ संख्या 25/टि० पर दिनांक 20.01.2014 को प्राप्त है।
11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं०-19/2013 के पृष्ठ संख्या-45/टि० पर दिनांक 09.07.2014 को प्राप्त है। बिहार राज्यपाल के आदेश से




(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 14/7/14

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं०-19/2013 2494

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ ए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 14/7/14

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं०-19/2013 2494

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र02/बि0स्टे0पा0ट्रा0कं0-38/2013

23/2

पटना, दिनांक - 7/7/14

विभाग
द्वारा
द्वारा
द्वारा
द्वारा

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),

बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना की संचरण प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं० पावर ट्रान्सफॉर्मर का तेल बदलना एवं ओवर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्या हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु० 7.08 करोड़ रुपये बिहार स्टेट ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत विभिन्न ग्रिड सब-स्टेशन विभिन्न क्षमता के पावर ट्रान्सफॉर्मर के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार कुछ पावर ट्रान्सफॉर्मर में ट्रान्सफॉर्मर ऑयल की स्थिति बहुत खराब है। चलते तेल का ब्रेक डाउन भोलटेज बहुत कम हो गया है तथा ट्रान्सफॉर्मर के प्रतिरोधक क्षमता कम हुआ है। फलस्वरूप, पावर ट्रान्सफॉर्मर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भार-वहन करने में सक्षम न हो पाया है। साथ ही कुछ ट्रान्सफॉर्मर में इनके कमिशन के पश्चात् अभी तक भी नहीं बदला जा सका है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल 48 नं० पावर ट्रान्सफॉर्मर के क्षमता वृद्धि करके ट्रान्सफॉर्मर के ओवर होलिंग के दरम्यान 1000 कि०मी० ट्रान्सफॉर्मर तेल की आवश्यकता है। इनकी क्षमता के 48 नं० पावर ट्रान्सफॉर्मर का तेल बदलना एवं ओवर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रुपये की योजना है जिनकी कुल अनुमानित राशि निम्न प्रकार से आकलित की गई है।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना संचरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं० पावर ट्रान्सफॉर्मर का तेल बदलना एवं इनका ओवर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु रु० 5 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध करायी गयी है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना की संचरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं० पावर ट्रान्सफॉर्मर का तेल बदलना एवं इनका ओवर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु० 7.08 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र सं० P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-035210104 आई०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

6. वित्त विभाग के परिषत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिक पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंग बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति क अनुमोदन संचिका संख्या प्र02/बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0-38/2013 के पृष्ठ संख्या-4 टि0 पर दिनांक 03.07.2013 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प्र02/बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0-38/2013. के पृष्ठ संख्या 20/टि0 पर दिनांक 03.07.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0-38/2013

दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0-38/2013 23/12

दिनांक 7/7/14

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग



पत्रांक - प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-26/2013 2305 पटना, दिनांक - 7/7/14

वित्त विभाग
द्वारा
प्रनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी संचरण कम्पनी विद्युत संचरण प्रणाली के पुराने 14 ग्रिड उपकेन्द्रों हेतु कुल 17 पाव ट्रांसफॉर्मरों का क्रय कर क्षमता विस्तार की 49.04 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 29.04 (उनतीस करोड़ चार लाख) करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

राज्य के वितरण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु वितरण अवरोधों को चिन्हित किया गया है उच्चतम स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। सहमति बनी है कि संचरण प्रणाली की क्षमता वितरण प्रणाली के क्षमता के समतुल्य होनी चाहिए। अतः चिन्हित ग्रिड उपकेन्द्रों यथा बोधगया, बिहारशरीफ, बेगूसराय, फतुहा, सीतामढ़ी, सबौर, गोपालगंज, बेटिया, सहरस समस्तीपुर, छपरा, जक्कनपुर (पटना), आरा में क्षमता विस्तार कर संचरण अवरोधों को दूर कर दिया है।

2. राज्य के संचरण व्यवस्था के सुदृढिकरण हेतु बिहारशरीफ एवं बोधगया 220 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्रों में एक-एक नया 150 एम०भी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाना आवश्यक है। इस अतिरिक्त बेगूसराय एवं फतुहा 220 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्रों में एक-एक नया अतिरिक्त 10 एम०भी०ए० एवं सबौर और सीतामढ़ी 132/33 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र में 13 अतिरिक्त 5 एम०भी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता विस्तार किया जाना है। इस योजना की कुल लागत 49.04 करोड़ रुपये है एवं कार्यान्वयन की समय सीमा 2 वर्ष है।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी संचरण कम्पनी के विद्युत संचरण प्रणाली के पुराने 14 ग्रिड उपकेन्द्रों हेतु कुल 17 पाव ट्रांसफॉर्मरों का क्रय कर क्षमता विस्तार की 49.04 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति ए योजना के कार्यान्वयन हेतु 20 (बीस) करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी गयी है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी संचरण कम्पनी के विद्युत संचरण प्रणाली के पुराने 14 ग्रिड उपकेन्द्रों हेतु कुल 17 पावर ट्रांसफॉर्मरों का क्रय कर क्षमता विस्तार की 49.04 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 29.04 (उनतीस करोड़ चार लाख) करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० की परियोजना विप. कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

क०प०उ०

397

6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस्०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि० को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-26/2013 के पृष्ठ संख्या 13/टि० पर दिनांक 11.06.2013 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-26/2013 के पृष्ठ संख्या 21/टि० पर दिनांक 03.07.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-26/2013

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 27/7/14

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-26/2013 2305

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतिय में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

वित्त विभाग
द्वारा
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

पत्रांक- प्र02/BSPTCL-01/2014 2304

पटना, दिनांक - 7/7/14

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 55 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कालि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापन जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवरणी प्रकार है :-

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (एम0भी0ए0)	भोल्टेज लेवल (के0भी0)
मधुबनी	झंझारपुर	2x10	132/33
बेगूसराय	बलिया	2x10	132/33
	मंडोली	2x10	132/33
	बखरी	2x20	132/33
सुपौल	त्रीवेणीगंज	2x10	132/33
	निर्मली	2x20	132/33
दरभंगा	बेनीपुर	2x10	132/33
सीतामढ़ी	बेलसंड	2x10	132/33
पू0 चम्पारण	पकड़ी दयाल	2x20	132/33
	चकिया	2x20	132/33
समस्तीपुर	शाहपुर पटौरी	2x20	132/33
पूर्णिया	बनमंखी	2x20	132/33
भोजपुर	पीरो	2x20	132/33
कटीहार	मनीहारी	2x20	132/33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रुपये आवकलित की गयी।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति एवं इस योजना कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या 840 दिनांक 24.02.2014 द्वारा 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) र बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 केभी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित तंत्रण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना को क्रेनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आई0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु संक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या प्र02/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या-8/टि0 पर दिनांक 10.02.2014 को प्राप्त है।
10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र02/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या 18/टि0 पर दिनांक 03.07.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014

दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL-01/2014 2304

दिनांक 7/7/14

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

23-2-15
23-2-15

क्रमांक - 202
दिनांक -

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली सुदृढीकरण फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रूपयोजना बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृत योजना कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में विमुक्त की राशि 26.00 करोड़ (छब्बीस करोड़ रूपये) रूपये को बिहार स्टेट ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध

523/MD (20)
23-2-15

आदेश: स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रूपये एवं फेज-I 1958.47 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा की गयी है।

2. उक्त योजनाओं के अधीन चिन्हित कार्यों के उपरांत भी यह पाया गया कि कुछ उपकेन्द्रों में विद्युत् की आपूर्ति मात्र एक श्रोत पर निर्भर है। इस कारण उस श्रोत में व्यवधान होने पर विद्युत् की आपूर्ति बाधित होती है। विद्युत् की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इन ग्रिडों में अन्य उपलब्ध कराने हेतु कुछ संचरण लाइन का निर्माण आवश्यक है जो इस योजना में शामिल है। अतिरिक्त कुछ ग्रिडों में एक ट्रान्सफार्मर के फेल हो जाने की स्थिति में शीर्ष मांग (पीक लोड) को करने हेतु ग्रिड की क्षमता विस्तार करना आवश्यक है इसके लिए इन चिन्हित ग्रिडों में अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाया जाना है।

23/2/15

3. इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रूपयोजना बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा विमुक्त की जानेवाली राशि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या-2820 दिनांक 04.08.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

4. वित्तीय वर्ष 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2014-1370 दिनांक 05.02.2015 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त किये गये हैं।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० के विद्युत् संचरण प्रणाली सुदृढीकरण फेज-III के अधीन "एन-1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रूपये की योजना बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में विमुक्त की गयी राशि 26.00 करोड़ (छब्बीस करोड़ रूपये) रूपये को बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

23/2/15

संख्या-05 लखनऊ तथा विनयपुर लखनऊ-190 सर्वज्ञानक क्षेत्र क तथा अन्य उपक्रमां में निवेश सं-10 उपशीर्ष-0208 पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) (राज्य घटक (बी0एस0पी0टी0सी0एल0 के लिए) की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900208 विषय सं 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना व केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042194 आइ0एफ0एस0सी कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायेगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार प की आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र02/बी0आर0जी0एफ0-04/2014 के पृष्ठ संख्या 12/टि0 पर दिनांक 22.07.2014 को प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या- प्र02/बी0आर0जी0एफ0-04/2014 के पृष्ठ संख्या 19/टि0 पर दिनांक 09.02.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र02/बी0आर0जी0एफ0-04/2014

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 19/02/2015

ज्ञापांक प्र02/बी0आर0जी0एफ0-04/2014 569
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

संख्या ११

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 41 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की राशि 149.64 करोड़ (एक सौ उनचास करोड़ चौसठ लाख) रुपये बिहार पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान कर संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-II 1958.47 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा की गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-614 दिनांक 23.08.2013 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये के वि 62.50 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये हैं। तदनुसार राज्यादेश संख्या-5162 दिनांक 11.11.2013 विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये के विरुद्ध 62.50 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2014-1370 दिनांक 05.02.2015 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये के विर 149.64 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये हैं।

4. राज्य सरकार द्वारा बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) तहत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि 149.64 करोड़ (एक सौ उनचास करोड़ चौसठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुर शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मा सं०-10 उपशीर्ष-0208 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक) (बी०एस०पी०टी०सी०एल० के लिए) की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900208 विषय शी 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

कृ०पृ०ऊ०

573/MD (P)
02-03-15

S.M
9/3/15

280/DG/4/15
9/3/15

586/2
9/3/15

पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना में एक इस्का मुसहान भारतीय स्टेट केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042194 आइओएफओएसओ कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013 के पृष्ठ संख्या 56/टि0 पर दिनांक 08.10.2013 को प्राप्त।
9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013 के पृष्ठ संख्या 123/टि0 पर दिनांक 11.02.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 24/02/201

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013 611
 प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप-सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

Annexure - A

(2015 - 2016)					(Amount in Lacs)	
Sl. No.	Name of Scheme	Total Cost of Sanctioned	Year of Sanction	Sanction Order No.	Date	Sanction Amount
						Equity
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of 132/33 KV GSS at Different Places in 14 Nos. Revenue Sub Division (in 10 Districts)	55590.00	2013-14	1777	25.06.15	7000.00
2	Construction of 132/33 KV GSS at Different Places in 14 Nos. Revenue Sub Division (in 10 Districts)	55590.00	2013.14	1921	08.07.15	12500.00
3	Construction of 132/33 KV GSS and related Transmission Line at 17 Revenue Sub Divisions where no GSS is working.	66872.00	2014.15	1778	25.06.15	6000.00
4	Construction of 132/33 KV GSS and related Transmission Line at 17 Revenue Sub Divisions where no GSS is working.	66872.00	2014.15	1904	07.07.15	10000.00
5	Construction of 2nd Circuit Stringing of Single String Trans. Line on 17 Nos. Of 132 KV Double Circuit Tower & 35 Nos of 132 KV Line Bay in related 132/33 KV GSS	12367.00	2014.15	1885	06.07.15	2500.00
6	Construction of Control Room Building, Residential Complex and	7682.50	2013.14	1922	08.07.15	2182.50
7	Construction of 220/132/33 KV New GSS 220 KV Double Circuit Line between Begusarai Purnea of (2x160+2x50) M.V.A	10609.00	2014.15	1947	09.07.15	2500.00
						42682.50
BRGF						
1	strengthening of Sub Transmission system Under BRGF(Special Plan)(N-1)	Received from PL Account	2015-16	Datewise List Attached		19196.09
						19196.09
Total						61878.59

30

Fund Received from PL Account for the Year 2015-16 upto 31.01.2016

Sl.No.	Date	Particulars	Amount in Lac.
1	12.10.15	Amount Received from PL Account	4200.00
2	17.10.15	Amount Received from PL Account	3360.00
3	30.10.15	Amount Received from PL Account	2688.00
4	05.11.15	Amount Received from PL Account	2150.40
5	09.11.15	Amount Received from PL Account	1720.32
6	26.11.15	Amount Received from PL Account	1376.25
7	01.12.15	Amount Received from PL Account	1101.00
8	09.12.15	Amount Received from PL Account	880.80
9	16.12.15	Amount Received from PL Account	704.64
10	23.12.15	Amount Received from PL Account	563.71
11	25.01.16	Amount Received from PL Account	450.97
		Total	19196.09

महालेखाकार (लेखा एवं हक).
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण होने से उत्तरी एवं मध्य बिहार के वर्तमान एवं भविष्य में बढ़े हुए विद्युत मांग की पूर्ति तथा निकटवर्ती ग्रिड सब-स्टेशन में अतिरिक्त विद्युत माध्यम उपलब्ध कराने से गुणवत्तापूर्ण बिजली उचित विद्युत विभव के साथ उपलब्ध हो सकेगी।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 में विद्युत संचरण के क्षमता विस्तार, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध उपलब्धता हेतु 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) की लम्बाई ज्यादा होने के कारण इसका रख-रखाव एवं संचालन कठिन एवं अव्यवहारिक है। इसके स्थायित्व हेतु लाईन के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की आवश्यकता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना की कुल लागत 106.09 करोड़ रुपये आकलित की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश सं0 987 दिनांक 25.03.2015 द्वारा प्रदान की गई थी परन्तु योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन संख्या 25 दिनांक-25.03.2015 द्वारा 2.7004 करोड़ (दो करोड़ सत्तर लाख चार हजार) रुपये विमुक्त नहीं गया था।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत 220 के0भी0 डबल सर्किट लाईन बेगूसराय-पूर्णिया (पावरग्रिड) (RL-183 किलोमीटर) के मध्य (2x160+2x50) एम0भी0ए0 क्षमता का 220/132/33 के0भी0 नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कुल 106.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-मुख्यशीर्ष -05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष -190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों निवेश मांग सं० -10 उप शीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० परियोजना विपत्र कोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत उपबर्हि राशि से विकलनीय होगा।
6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगत भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केन्द्रा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चा खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वा की जायगी।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचि संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०६/२०१४ के पृष्ठ संख्या ०८/टि० पर दिनांक २४.०३.२०१५ को प्राप्त है।
8. वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में निर्गत आवंटन आदेश संख्या-२५ दिनांक २५.३.१५ व निरस्त किया जाता है।
9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०६/२०१४ के पृष्ठ संख्या-१३/टि० पर दिनांक ०८.०७.२०१५ व प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(कामेश्वर शुक्ला)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक - प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०६/२०१४

दिनांक

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक : प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-०६/२०१४ (१५) पटना, दिनांक : ०९/०७/२०१५

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक 202 बि०स्टेट पावर लि० का दि०-33 2013

पटना दिनांक -

संख्या 8

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये फेज-III पार्ट I की 1370.02 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित में से 170.00 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III की 1958.47 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 5150 दिनांक 07.11.2013 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-614 दिनांक 23.08.2013 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II की 472.53 करोड़ रुपये के विरुद्ध 62.50 करोड़ रुपये पत्रांक F.No.44(4)PF1/2014-1370 दिनांक 05.02.2015 द्वारा 149.64 करोड़ रुपये विमुक्त किये गये तदनुसार राज्यादेश संख्या-5162 दिनांक 11.11.2013 एवं राज्यादेश संख्या-611 दिनांक 24.02.2015 द्वारा 212.14 करोड़ रुपये विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी गयी है।

पुनः विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 1370.02 करोड़ रुपये के विरुद्ध वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(4)PF1/2013-731 दिनांक 16.09.2013 द्वारा 411.02 करोड़ रुपये विमुक्ति के आलोक में 411.02 करोड़ रुपये राज्यादेश संख्या-5162 दिनांक 11.11.2013 द्वारा उप संचरण प्रणाली-का सुदृढीकरण फेज-III के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि० एवं उसकी सभी अनुषंग कम्पनियों यथा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से 300.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 2450 दिनांक 23.08.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

क०प०ऊ०

385

4. विद्युत उप 2015-16 में अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III पार्ट I की 1370.02 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित राशि में से 170.00 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराया जाना है।

5. इसी आलोक में राज्य सरकार द्वारा बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III की 472.53 करोड़ रुपये एवं फेज-III पार्ट I की 1370.02 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित राशि में से 170.00 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-0 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-011 विशेष सहायता (बी०आर०जी०-ऊर्जा) - (बी०एस०पी०टी०सी०एल० के लिए) की परियोजना विप कोड-P4801051900112 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि में विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से जायगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 के पृष्ठ संख्या 152/टि० पर दिनांक 22.08.2015 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 के पृष्ठ संख्या 158/टि० पर दिनांक 07.09.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 21/09/2015

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-33/2013 - 2673

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को 21.825 करोड़ (इक्विस करोड़ बेरासी लाख पचास हजार रुपये) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत संचरण क्षमता के विस्तार की महत्ती योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में कई उपकरण यथा ट्रांसफार्मर, कंट्रोल एवं रीले पैनल, ब्रेकर इत्यादित उपकेन्द्रों में प्रस्थापित किए जाने हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटे इन आदि के जीर्णोद्धार की योजना बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 20 उपकेन्द्रों का आधुनिकरण एवं जीर्णोद्धार (असैनिक कार्यों को छोड़कर) करने की भी योजना प्रस्तावित है। इन मूल्यवान उपकरणों को प्रस्थापित करने, सुरक्षित संचालन एवं सुरक्षा हेतु उपकेन्द्र अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण असैनिक कार्य यथा आंतरिक सड़क, नियंत्रण कक्ष भवन, चहारदीवारी इत्यादि का समुचित सुदृढ होना अनिवार्य है। बहुत सारे वर्तमान ग्रिड उपकेन्द्र करीब 35/40 वर्ष पूर्व निर्मित हैं जिनकी असैनिक मरम्मती, सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार अत्यावश्यक है।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा इस योजना के अन्तर्गत नियंत्रण कक्ष मरम्मती, आवासीय भवन मरम्मती, विश्राम गृह मरम्मती, पहुँचपथ मरम्मती, पेयजल एवं निस्सारण व्यवस्था, चहारदीवारी मरम्मती कार्य, कार्यालय मरम्मती, स्वीचयार्ड का विकास किया जाना है। इस योजना की कुल लागत 76.825 करोड़ रु० अंकलित की गई है। इस योजनान्तर्गत सभी कार्य दो चरणों में कराया जाना है। प्रथम चरण में ग्रिड उपकेन्द्र स्थित नियंत्रण कक्ष भवन, पहुँचपथ, विश्राम गृह, चहारदीवारी इत्यादि के मरम्मति के कार्य किये जायेंगे। द्वितीय चरण में उपरोक्त वर्णित कार्यों को छोड़कर ग्रिड उपकेन्द्रों के परिसर में अवस्थित आवासीय भवन एवं इससे संबंधित कार्य कराए जायेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या-3773 दिनांक 22.07.2013 द्वारा 25.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-3077 दिनांक 30.08.2014 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को 30.00 करोड़ रुपये उपलब्ध उपलब्ध करायी गयी है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क/पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को 21.825 करोड़ (इक्विस करोड़ बेरासी लाख पचास हजार रुपये) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश भाग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र क्र०- P4801051900105 विपत्र शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय है।

6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से करं इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड-CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355, दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या प्र०2/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-40/2013 के पृष्ठ संख्या-06/टि० पर दिनांक 09.07.2013 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प्र०2/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-40/2013 के पृष्ठ संख्या 18/टि० पर दिनांक 07.07.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०2/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-40/2013

दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०2/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-40/2013

1922 दिनांक 08/07/2015

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक - 302 / बि०स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०-04/2014

पटना, दिनांक - _____

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हंक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 17 अदद 132 के०भी० डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रिंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के०भी० लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़ रुपये) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा ऊर्जा की माँग/आवश्यकता में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज होने के अनुरूप विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षमता विस्तार की जा रही है। इसी के तहत विद्युत संचरण के क्षमता विस्तार, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध उपलब्धता हेतु 132 के०भी० नई संचरण लाईनों की निर्माण की आवश्यकता है। परन्तु नई लाईनों के निर्माण हेतु मार्ग अधिकार (ROW), प्राक्कलन राशि एवं समय की अधिकता को संज्ञान में लेते हुए मौजूदा डबल सर्किट टावर पर द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग का कार्य आवश्यक है। इसी आलोक में 17 अदद 132 के०भी० डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रिंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के०भी० लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या-5236 दिनांक 09.12.14 वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदान गयी है।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 17 अदद 132 के०भी० डबल सर्किट टावर पर सिंगल स्ट्रिंग संचरण लाईनों के द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं सम्बंधित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों में 35 अदद 132 के०भी० लाईन 'बे' का निर्माण की 123.67 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र कोड- P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

क०पू०ऊ०

Ravindra
4
2/1/15

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना में इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केंद्र बैंक, नारायण मंडी मैदान शाखा, पटना के द्वारा खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।
5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन-संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-०४/२०१४ के पृष्ठ संख्या ०६/टि० पर दिनांक ०२.१२.२०१४ को प्राप्त है।
7. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-०४/२०१४ के पृष्ठ संख्या-१२/टि० पर दिनांक ३०.०६.२०१५ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-०४/२०१४

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक ०२/०३/२०१५

ज्ञापांक प्र०२/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-०४/२०१४ 1885

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/राष्ट्रीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

वि०स्टेट०पावर०ट्रा०को०लि०-05/2014

दिनांक -

महालेखाकार (लेखा एंव हक)
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के०भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार राज्य के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु बनायी गयी योजना पर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्रदान की गयी है। इस योजना अन्तर्गत बिहार राज्य में मात्र 11 ग्रिड सब-स्टेशन यथा मोतीपुर, समस्तीपुर (नया), सुपौल (नया), मुजहरी, गया, जक्कनपुर, जमालपुर, भोखपुरा, नवादा एवं किशनगंज (नया) में 220/132 के०भी० लेवल ग्रिड एवं शिवहर 132/33 के०भी० लेवल ग्रिड का निर्माण होना है। बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के नुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का भीष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। अतः इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए०आई०एस० मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है। निर्माणाधीन ग्रिड की क्षमता का निर्धारण उस ग्रिड के लोड के आधार पर किया गया है। वितरण कम्पनी से आग्रह किया गया है कि इन राजस्व अनुमंडलों में बेहतर ढंग से वितरण प्रणाली योजना बनायी जाय ताकि इन राजस्व अनुमंडलों में लोड की वृद्धि हो सके। इसी आलोक में बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के०भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या 5238 दिनांक 09.12.2014 द्वारा 100.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यादेश संख्या 1778 दिनांक 25.06.2015 द्वारा 60.00 करोड़ रुपये उपलब्ध करायी गयी है।

2. राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के०भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०ऊ०

इस राशि मुख्य शीर्ष 4801-विजयी-सिंचाई-सहायताओं पर वृद्धिगत शीर्ष 4801-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190-संयोजनिक अंत्र के तथा अन्य प्रकृति में विद्यमान शाखा सं-10 उच्च-1105 बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० की संयोजना विपत्र क्र०- P4801051900105 विषय शीर्ष 511-विद्यमान के अन्तर्गत विनियम सं 2014-16 में उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।
5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०2/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-05/2014 के पृष्ठ संख्या 06/टि० पर दिनांक 02.12.2014 को प्राप्त है।
7. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र०2/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-05/2014 के पृष्ठ संख्या-19/टि० पर दिनांक 07.07.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक :-

दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

ज्ञापांक प्र०2/बि०स्टे०पा०ट्रा०क०लि०-05/2014-1905

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड/ऊर्जा सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

नहालखाकार (लेखा एवं हक).
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, - में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 60 करोड़ (साठ करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार राज्य के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु बनायी गयी योजना पर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्रदान की गयी है। इसे योजना अन्तर्गत बिहार राज्य में मात्र 11 ग्रिड सब-स्टेशन यथा मोतीपुर, समस्तीपुर (नया), सुपौल (नया), मुत्तहरी, गया, जक्कनपुर, जमालपुर, भोखपुरा, नवादा एवं किशनगंज (नया) में 220/132 के0भी0 लेवल ग्रिड एवं शिवहर 132/33 के0भी0 लेवल ग्रिड का निर्माण होना है। बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का भीष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। अतः इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0एस0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है। निर्माणाधीन ग्रिड की क्षमता का निर्धारण उस ग्रिड के लोड के आधार पर किया गया है। वितरण कम्पनी से आग्रह किया गया है कि इन राजस्व अनुमंडलों में बेहतर ढंग से वितरण प्रणाली योजना बनायी जाय ताकि इन राजस्व अनुमंडलों में लोड की वृद्धि हो सके। इसी आलोक में बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या 5238 दिनांक 09.12.2014 द्वारा 100.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है।

2. राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 17 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 668.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु 60.00 करोड़ (साठ करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक- P48010S190010S पत्र संख्या 8401-नियंत्रण व अन्तरिक विभाग के 2015-16 में उपरोक्त राशि से विकल्पनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।
5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०2/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-05/2014 के पृष्ठ संख्या 06/टि० पर दिनांक 02.12.2014 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०2/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-05/2014 के पृष्ठ संख्या-17/टि० पर दिनांक 24.06.15 को प्राप्त है।
9. पूर्व में निर्गत स्वीकृतादेश संख्या 958 दिनांक 24.03.2015 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र०2/बि०स्टे०पा०ट्रा०कं०लि०-05/2014 1778 दिनांक 25/12/2015
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड/ऊर्जा सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक

महालेखाकार (लेखा एवं हक).
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0मी0 क्षमता वाली (ए0आई0 एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 125.00 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0एस0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (एम0मी0ए0)	मोल्टेज लेवल (के0मी0)
मधुबनी	झंझारपुर	2x10	132/33
बेगुसराय	बलिया	2x10	132/33
	मंझौल	2x10	132/33
	बखरी	2x20	132/33
सुपौल	त्रीवेणीगंज	2x10	132/33
	निर्मली	2x20	132/33
दरभंगा	बेनीपुर	2x10	132/33
सीतामढ़ी	बेलसंड	2x10	132/33
पू0 चम्पारण	पकड़ी दयाल	2x20	132/33
	चकिया	2x20	132/33
समस्तीपुर	शाहपुर पटौरी	2x20	132/33
पूर्णिया	बनमंखी	2x20	132/33
भोजपुर	पीरो	2x20	132/33
कटीहार	मनीहारी	2x20	132/33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रुपये आवकलित की गयी।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0मी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या 840 दिनांक 24.02.2014 द्वारा 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-2304 दिनांक 07.07.2014 द्वारा 10.00 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या-3079 दिनांक 23.08.2014 द्वारा 30.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यादेश संख्या-1777 दिनांक 25.06.2015 द्वारा 70.00 करोड़ रुपये उपलब्ध करायी गयी है।

Responsible
4
15/11/15

नहालेखकार (लेखा एवं हक).
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन-एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 70.00 करोड़ (सत्तर करोड़ रुपये) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलों में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं, जहां वर्तमान में कोई भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 6120 मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड है। इन ग्रिड सब-स्टेशनों को ए0आई0एस0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (एम0भी0ए0)	मोटेज लेवल (कर्वनी0)
मधुबनी	झंझारपुर	2x10	132/33
बेगुसराय	बलिया	2x10	132/33
	मंझौल	2x10	132/33
	बखरी	2x20	132/33
सुपौल	त्रीवेणीगंज	2x10	132/33
	निर्मली	2x20	132/33
दरभंगा	बेनीपुर	2x10	132/33
सीतामढ़ी	बेलसंड	2x10	132/33
पू0 चम्पारण	पकड़ी दयाल	2x20	132/33
	चकिया	2x20	132/33
समस्तीपुर	शाहपुर पटौरी	2x20	132/33
पूर्णिया	बनमंखी	2x20	132/33
भाजपुर	पीरो	2x20	132/33
कटीहार	मनीहारी	2x20	132/33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रुपये आवकलित की गयी।

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्तमान में कोई ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के 0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या 840 दिनांक 24.02.2014 द्वारा 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यादेश संख्या-2304 दिनांक 07.07.2014 द्वारा 10.00 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या-3079 दिनांक 23.08.2014 द्वारा 30.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4301-विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय-एच मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश नॉंग सं०-10 उपशीर्ष-0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र फोड-P4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपर्युक्त राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042062 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या प्र०२/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या-8/टि० पर दिनांक 18.02.2014 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०२/BSPTCL-01/2014 के पृष्ठ संख्या 31/टि० पर दिनांक 24.06.15 को प्राप्त है।

10. पूर्व में निर्गत आवंटन आदेश संख्या-20 दिनांक 24.03.2015 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कामेश्वर शुक्ला)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

दिनांक 25/02/2015

ज्ञापक प्र०२/BSPTCL-01/2014 1777
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/ अवर सचिव-सह -निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग